HAMIRPUR POLICE

METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

"प्रभावी पैरवी कर खतरनाक हथियार से गम्भीर चोट पहुंचाने व एससी/एसटी एक्ट में 03 अभियुक्तगणों को 04-04 वर्ष के कठोर कारावास व 39,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।"

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे **ऑपरेशन कन्विक्शन** अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, **थाना राठ** में पंजीकृत **मु0अ0सं0- 1387/07 धारा– 323/34,324/34,342,308,504,506 भा0द0सं0 व 3(1)10 एससीएसटी एक्ट में** सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय **एससी/एसटी एक्ट कोर्ट** जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण **1.अरविन्द पुत्र देवपाल लोधी 2.देवपाल पुत्र दिल्लीपत 3.रविन्द्र पुत्र देवपाल** निवासीगण चिल्ली थाना राठ जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए **04-04 वर्ष का कठोर कारावास व ₹39,000 /- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

	एडीजीसी **श्री विजय सिंह**		**विवेचक-** **सीओ श्री त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी**		पैरोकार- थाना राठ का0 प्रदीप भार्गव